भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-60
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना

†60. **श्री पुष्पेंद्र सरोज:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश में वर्षवार और सामाजिक श्रेणीवार (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) कुल कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत संवितरण में हुए विलंब सहित आवंटित, स्वीकृत और प्रयुक्त निधि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में उत्तर प्रदेश के लिए चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परन्तु प्रक्रियात्मक अथवा सत्यापन में विलंब के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाने वाले पात्र विद्यार्थियों, यदि कोई हो, की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार/जिला-वार और सामाजिक श्रेणी-वार (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) सहित कुल संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार की प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले श्रेणी-वार (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी) छात्रों की कुल संख्या के साथ-साथ योजना के तहत आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे **सारणीबद्ध है:**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि आवंटन (रुपये करोड़ में))	वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ में)	छात्रवृत्ति की संख्या (नया + नवीनीकरण)			
				सामान्य/ओबीसी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2020-21	350.00	321.11	186634	58307	22562	267503
2	2021-22	284.20	251.98	142218	48116	16460	206794
3	2022-23	307.45	306.49	169425	60404	29695	259524
4	2023-24	358.00	313.10	169624	60080	20385	250089
5	2024-25	352.60	352.49	187276	66961	23523	277760

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन हेतु अपनी परीक्षा आयोजित करता है। चयनित छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पंजीकरण करते हैं जिसमें उनके आवेदन का सत्यापन संस्थान नोडल अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति और संवितरण के लिए अंतिम सत्यापित आवेदनों पर विचार किया जाता है। एनएसपी का उद्देश्य एक सरलीकृत, मिशन-उन्मुख, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी 'स्मार्ट' प्रणाली प्रदान करना है ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र आवेदकों को बिना किसी रुकावट के सीधे उनके खाते में छात्रवृत्ति का तीव्र और प्रभावी वितरण किया जा सके । एनएसपी छात्रों के पंजीकरण और नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रतेयक वर्ष एक निश्चित समय सीमा के लिए खुला रहता है जिसके दौरान छात्र अपना नया पंजीकरण/पुनः आवेदनों की प्रक्रिया पूरा करते हैं और संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) और जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) अपनी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसलिए, कोई प्रक्रियात्मक या सत्यापन देरी नहीं है।

*****